न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 34 सन 2024
अनवान :–

1. परमानन्द पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।

सायल

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

गैरसायल

2. रोहिताश पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी गैरसायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128
राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम सन 1950

उपस्थित : श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 24/04/2025

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि सायल ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1950 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 147/149 के खसरा न0 133 की 4.3640हैक्ट भूमि सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 2 की खातेदारी भूमि की सही पैमाईश नही होने के कारण गांव के व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण करने की मन्शा रखने वाल व्यक्ति से हमेशा विवाद रहता है तथा सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 2 का खातेदारी खेत खसरा न0 133 के दक्षिण तरफ खसरा न0 134 है तथा सही पैमाईश नही होने के कारण गांव के कुछ व्यक्तियों के द्वारा विधि विरूद्व सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 2 की खातेदारी भूमि में दक्षिणी सीव को तोडकर सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 2 के खेत के उतर की तरफ घुसकर नाजायज कब्जा कर रहे है जिससे सीमा सम्बधी विवाद रहता है।

सायल की खातेदारी भूमि की दक्षिण सीव को तोडकर गावं के व्यक्तियों के द्वारा सायल के खेत उतर की तरफ घुसकर नाजायज तरीके से लकडिया , बटोडे , थेपडी आदि डालकर नाजायज नोहरे , मकानात , बना रखे है तथा निर्माण कर रहे है सायल की खातेदारी भूमि में घुसकर आगे बढकर सायल की उतरी तरफ घुस कर नाजायज कब्जा कर रखा है जो खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण करने की श्रेणी में आता हे।

सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 2 ने गैरसायल संख्या 1 से कई बार निवेदन किया की रोही मोजा मालिया के खसरा न0 133 की 4.3640हैक्ट भूमि जो सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा खसरा न0 133 के दक्षिणी तरफ खसरा न0 134 आबादी है उसमें अतिक्रमी प्रवृति के व्यक्तियों ने सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 2 के खातेदारी खेत खसरा न0 133 की दक्षिणी सीव को तोडकर उसके खेत में उतर की तरफ बढकर नाजायज निर्माण कर रहे है मगर गैरसायल संख्या 1 को सही पैमाईश या निशानदेही नही की जा रही है अब स्पष्ट निशानदेही से इन्कार हो गये है

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.28 17:03:57 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 147/149 के खसरा न0 133 की 4.3640है0 भूमि की सही पैमाईश की जाकर निशानदेही की जाकर पत्थरगढी करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गेरसायल संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 ने जबाब पेश किया की सायल व

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरसायल संख्या 2 की कृषि भूमि की पैमाईश पूर्व में की जा चुकी है तथा अपना प्रार्थना पत्र सायल स्वय साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित करे पूर्व पैमाईश की जाकर निशानदेही दी जा चूकी है सायल ने प्रार्थना पत्र राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसे सायल स्वय साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित करे राज्यहकों को सुरक्षि रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे।

तरतीबी गैरसायल संख्या 2 का हक सायल में निहित होने के कारण तलबी की आवश्यकता नही तहसीलदार नोहर के रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल की गई सायल ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र /दस्तावेजात पेश किये जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 147/149 के खसरा न0 133 की 4.3640हैक्‍ भूमि सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 2 की खातेदारी भूमि की सही पैमाईश नही होने के कारण गांव के व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण करने की मन्शा रखने वाल व्यक्ति से हमेशा विवाद रहता है तथा सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 2 का खातेदारी खेत खसरा न0 133 के दक्षिण तरफ खसरा न0 134 है तथा सही पैमाईश नही होने के कारण गांव के कुछ व्यक्तियों के द्वारा विधि विरूद्व सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 2 की खातेदारी भूमि में दक्षिणी सीव को तोडकर सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 2 के खेत के उतर की तरफ घुसकर नाजायज कब्जा कर रहे है जिससे सीमा सम्बधी विवाद रहता है।

सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 2 ने गैरसायल संख्या 1 से कई बार निवेदन किया की रोही मोजा मालिया के खसरा न0 133 की 4.3640हैक्‍ भूमि जो सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा खसरा न0 133 के दक्षिणी तरफ खसरा न0 134 आबादी है उसमें अतिक्रमी प्रवृति के व्यक्तियों ने सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 2 के खातेदारी खेत खसरा न0 133 की दक्षिणी सीव को तोडकर उसके खेत में उतर की तरफ बढकर नाजायज निर्माण कर रहे है मगर गैरसायल संख्या 1 को सही पैमाईश या निशानदेही नही दी जा रही है अब स्पष्ट निशानदेही से इन्कार हो गये है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 147/149 के खसरा न0 133 की 4.3640हैक्‍ भूमि की सही पैमाईश की जाकर निशानदेही की जाकर पत्थरगढी करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 2 को उनकी खातेदारी भूमि की पैमाईश पूर्व में करवाई जा चुकी है सायल अपने प्रार्थना पत्र को साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वय साबित करे तथा राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 147/149 के खसरा न0 133 की 4.3640हैक्‍ भूमि सायल व तरतीबी गैरसायल सख्या 2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल का कथन है कि सायल व तरतीबी गैरसायल की खातेदारी भूमि खसरा न0 133 के दक्षिण तरफ खसरा न0 134 है जिसके काश्तकार व अन्य व्यक्तियों के द्वारा नाजायज विधि विरूद्व सायल की खातेदारी भूमि की दक्षिण सीव को तोडकर सायल के खेत उतर की तरफ घुसकर नाजायज तरीके [illegible] कडिया , बटोडे , थेपडी आदि डालकर नाजायज नोहरे , मकानात , बना रखे है [illegible] कर रखे है जिसे बेदखल किया जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.28 17:03:57 IST
Reason: SelfAttested

सायल राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसके द्वारा पूर्व में अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाई गई थी पूर्व में की गई पैमाईश रिपोर्ट स्पष्ट व अपूर्ण है पैमाईश रिपोर्ट मे सायल व तरतीबी गैरसायल को उसकी भूमि की सीमा का ज्ञान अंकित नही है ना ही पैमाईश रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि सायल व तरतीबी गैरसायल की

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि कहा तक स्थित है केवल पैमाईश किया जाना अंकित किया गया है जो न्यायोचित नही है सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 2 के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान हेतु प्राप्त पेश किया गया था जिसका सायल को पूर्ण अधिकार है तथा पैमाईश के कर्मचारीयों को दायित्व था कि वह सायल को उसकी खातेदारी भूमि की पूर्ण पैमाईश की जाकर सायल का उसकी खातेदारी भूमि की सीम का पूर्ण ज्ञान करवाया जाकर सीमा की निशानदेही दी जाती किन्तु प्रस्तुत पैमाईश रिपोर्ट में उक्तानुसार अंकित नही है मात्र पैमाईश किया जाना अंकित किया गया है अर्थात पूर्व में किया गया सीमाज्ञान अस्पष्ट एव अपूर्ण है।

सायला के प्रार्थना पत्र एव प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार सायला का प्रार्थना पत्र भूमि पैमाईश से सम्बधित पाया जाता है पैमाईश होने के उपरान्त ही ज्ञात होगा की सायल की भूमि पर अन्य कोई काश्तकार काबिज है या नही पैमाईश होने के उपरान्त ही सायल अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवा पाने का अधिकारी है।

कोई भी खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के उपरान्त अपने हक हिस्सा की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है।उपरोक्त विवेचन अनुसार सायल का प्रार्थना भूमि पैमाईश उपरान्त पत्थरगढी का पाया जाता है

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को निर्देशित किया जाता है कि सायल एव तरतीबी गैरसायल संख्या 2 की भूमि रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 147/149 के खसरा न0 133 की कुल 4.3640हैक्ट भूमि की नियमानुसार सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पैमाईश टीम गठित की जाकर पैमाईश करवाई जानी सुनिश्चित करे पैमाईश उपरान्त नियमानुसार पत्थरगढी करवाने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करे इसी आश्य का आदेश तहसीलदार नोहर को भिजवाया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/4/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.28 17:03:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2024 / 463 दिनांक 28/04/25

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– प्रार्थना पत्र संख्या 24 / 2024 अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 111 व 128 बाबत पैमाईश एवं पत्थरगढी करने बाबात।

अनवान :–

अनवान :–

1. परमानन्द पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर।

सायल

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

गैरसायल

2. रोहिताश पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी गैरसायल

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनवानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि सायल एव तरतीबी गैरसायल संख्या 2 की भूमि रोही मौजा मालिया के खाता संख्या 147 / 149 के खसरा न0 133 की कुल 4.3640हैक भूमि की नियमानुसार सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पैमाईश टीम गठित की जाकर पैमाईश करवाई जानी सुनिश्चित करे पैमाईश उपरान्त नियमानुसार पत्थरगढी करवाने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करे तदानुसार कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित करे।

संलग्नः– निर्णय की प्रति

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.28 17:03:57 IST
Reason: SelfAttested